

तारीख हुकम

19/6/2024



पत्रावली पेश करी क्वील प्रार्थी उपरिपत्र
कक्ष क्वील प्रार्थी सुनी गयी। अधिवक्ता
प्रार्थी ने अपनी कक्ष में प्रार्थना पत्र में
अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण
को पाव-ह काले का निवेदन किया
पत्रावली का प्रयोजन किया। क्वील प्रार्थी
की कक्ष पर मनन किया प्रथम दृष्टया
कैश सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति
होने वाली रीति अप्रार्थीगण के पक्ष
में खरबूची साबित नहीं होने के कारण
प्रार्थना पत्र 42 राजस्थान कातरकारी अधि
विभाग 1955 खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौजल शुका, शेख नम्वा से कम
है मूल वाद के साथ संलग्न रहें हुनाभा

19.6.24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)